

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यव विभाग

संस्था-III(क) शाखा

नई दिल्ली, दिनांक 10 अक्टूबर, 2012

कार्यालय जापन

विषय:- वर्ष 2011-12 के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) प्रदान किए जाने संबंधी आदेशों को स्वायत्त निकायों के लिए भी लागू करना।

इस मंत्रालय के 5 अक्टूबर, 2012 के कार्यालय जापन सं. 7/24/2007-ई.III(ए) द्वारा केन्द्र सरकार के ऐसे पात्र कर्मचारियों को, जो उत्पादकता से संबद्ध बोनस (पी.एल.बी.) स्कीम के अंतर्गत नहीं आते, उक्त कार्यालय जापन में निर्धारित शर्तों पर लेखा वर्ष 2011-2012 के लिए 30 दिनों की परिलिखियां उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के रूप में प्राधिकृत करने के आदेश जारी किए गए हैं।

2. अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि अब यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त आदेशों में निर्धारित निवधन एवं शर्तों के अधीन यथास्वीकार्य उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) ऐसे स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को भी दिया जाए जिनका निधियन अंशतः अथवा पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है और जो (i) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन संरचना और परिवधियों की पद्धति का अनुसरण करते हैं और (ii) जहां अन्य कोई बोनस या अनुग्रह राशि या प्रोत्साहन स्कीम प्रचालन में नहीं है।

3. इन आदेशों को लागू करने के संबंध में किसी संदेह की स्थिति में, इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा-संशोधित दिनांक 04/10/1988 के का.जा.सं.14(10)/संस्था समन्वय/88 द्वारा परिचालित स्पष्टीकरण आदेशों को आवश्यक परिवर्तनों सहित ध्यान में रखा जाए।

4. विभिन्न स्वायत्त संगठनों के संबंध में उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) के प्रति देयता की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा निधियन के किसी भी अनुरोध पर, संबंधित मंत्रालयों द्वारा 5 अक्टूबर, 2012 के उपर्युक्त कार्यालय जापन में दी गई इस शर्त को ध्यान में रखते हुए विचार नहीं किया जाएगा कि उत्पादकता असंबद्ध बोनस (तदर्थ बोनस) पर होने वाले व्यव की पूर्ति, संबंधित संगठनों के मौजूदा बजटीय प्रावधानों में से की जानी चाहिए। हालांकि, ऐसे स्वायत्त निकाय भी जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा धन नहीं दिया जाता है, अपने प्रशासनिक एवं वित्तीय मूल्यांकन के अनुसार अपने कर्मचारियों के संबंध में इन आदेशों को लागू कर सकते हैं तथा इसके लिए वित्त-पोषण का कोई भी दायित्व किसी भी स्थिति में केन्द्र सरकार पर नहीं होगा।

*अमरनाथ सिंह*

(अमर नाथ सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

— भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।